"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 344] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 अगस्त 2013—श्रावण 15, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्रमांक 6780/डी. 241/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-07-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 26 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013

विषय-सूची

अध्याय-एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.

अध्याय-दो

भूमि के विक्रय, विनिमय एवं अंतरण की वैधता

3. भूमि के विक्रय, विनिमय एवं अंतरण की वैधता.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 26 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013

रायपुर नगर निगम सीमा में स्थित धारित भूमि के अंतरण को विधिमान्य करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-एक
प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013 कहलाएगा. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— **परिभाषाएं.**

(क) "शासकीय अभिकरण" से अभिप्रेत है, अभिकरण जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 में यथा परिभाषित शासन के नियंत्रण के अधीन है और इसमें रायपुर विकास प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सम्मिलित है;

(ख) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार;

(2) ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है, उनका वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के अधीन परिभाषित है.

अध्याय-दो
भूमि के विक्रय, विनिमय एवं अंतरण की वैधता

3. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासकीय अभिकरण द्वारा खरीदी गई भूमि या जिसका आधिपत्य विनिमय के करार या विक्रय के करार के अधीन प्राप्त किया गया हो, ऐसी खरीदी, ऐसे विक्रय के करार या विनिमय के करार, जिन्हें राजपत्र में राज्य शासन द्वारा एक बार अधिसूचित किया जायेगा, मात्र इस आधार पर अवैध नहीं माने जायेंगे कि उन्हें शासकीय अभिकरण द्वारा उचित रूप से मुद्रांकित या पंजीकृत नहीं कराया गया है. **भूमि के विक्रय, विनिमय एवं अंतरण की वैधता.**

(2) शासकीय अभिकरण द्वारा उक्त भूमि का, जिन्हें राजपत्र में राज्य शासन द्वारा एक बार अधिसूचित किया जाएगा, पट्टाधारियों को किया गया अंतरण, विधिमान्य रूप से अंतरित किया गया समझा जाएगा एवं शासकीय अभिकरण को किये गये ऐसे समस्त अंतरण और पट्टाधारियों को किया गया उत्तरवर्ती अंतरण, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के प्रावधानों के अंतर्गत वैध एवं विधिमान्य एवं नामांतरित समझे जायेंगे.

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, उक्त खरीदी, विक्रय के करार अथवा विनिमय के करार, जो शासकीय अभिकरण को अंतरित करने या विनिमय करने के संबंध में किए गए थे, में मूल स्वामियों द्वारा, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के प्रावधानों के अधीन भू-अभिलेखों में, स्वामित्व के संबंध में किया गया कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन, अवैध समझा जायेगा.

रायपुर, दिनांक 6 अगस्त 2013

क्रमांक 6780/डी. 241/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 26 of 2013)

CHHATTISGARH LAND HOLDINGS (VALIDATION) ACT, 2013

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER-I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. Definition.

CHAPTER-II
VALIDITY OF SALE, EXCHANGE AND TRANSFER OF THE LAND

3. Validity of sale, exchange and transfer of the Land.

CHHATTISGARH ACT
(No. 26 of 2013)

CHHATTISGARH LAND HOLDINGS (VALIDATION) ACT, 2013

An Act to validate the transfer of land holdings situated within the limits of Raipur Municipal Corporation.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called as Chhattisgarh Land Holdings (Validation) Act, 2013.

(2) It extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

Definition.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Government Instrumentality" means Instrumentality which are under the control of Government as defined under Article 12 of the Constitution of India, and includes Raipur Development Authority and Chhattisgarh Housing Board;

(b) "Government" means Government of Chhattisgarh.

(2) The words and expressions not defined in this Act shall have the same meaning as defined under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

CHAPTER-II
VALIDITY OF SALE, EXCHANGE AND TRANSFER OF THE LAND

Validity of sale, exchange and transer of the Land.

3. (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the land puchased or the possession of which is taken over under an agreement of exchange or agreement to sale, by the Government Instrumentality, the said puchase, agreement to sale or agreement of exchange, as may be notified once by the State Government in the Official Gazette, shall not be considered invalid merely by a reason of not being properly stamped or registered by the Government Instrumentality.

(2) The possession of the said land shall be deemed to be validly transferred to the lease holders by the Government Instrumentality and all such transfer to Government Instrumentality and further transfer to the lease holders, as may be notified once by the State Government in the Official Gazette, shall be deemed to be legal and valid and mutated under the provisions of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959).

(3) Subject to the provisions of this Act, any change made subsequent to the said purchase, agreement to sale or agreement of exchange, by the original owners in respect of ownership in land records under the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), which have been agreed to be transferred or exchanged to the Government Instrumentality, shall be considered invalid.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.